भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 825

जिसका उत्तर 23.07.2026 को दिया जाना है

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

†825. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार में स्वीकृत, पूरे हो चुके और निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए कुल कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ग) क्या बिहार के लिए कोई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) राजमार्ग परियोजनाओं के पूरा होने में होने वाली देरी को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में स्वीकृत, पूरे हो चुके और निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**श्रेणी**	**परियोजनाओं की संख्या**	**स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)**	**लंबाई (किमी में)**
1	अनुमोदित	40	24521	675
2	पूरे हो चुके	45	22115	1126
3	निर्माणाधीन	74	66442	1827

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियां निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**आवंटित निधियां (करोड़ रुपये में)**	**उपयोग की गई निधियां (करोड़ रुपये में)**

1	2023-24	10,749	10,749
2	2024-25	8,840	8,840
3	2025-26	9,962	9,962

(ग) बिहार से होकर गुजरने वाले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे/हाई स्पीड कॉरिडोर निम्नलिखित हैं:

(i) पटना से पूर्णिया

(ii) गोरखपुर से सिलीगुड़ी

(iii) रक्सौल से हल्दिया

(iv) पटना के लिए उत्तरी रिंग रोड

बक्सर से भागलपुर तक नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का हाई स्पीड प्रवेश नियंत्रित कॉरिडोर के रूप में उन्नयन किया जाना है।

(घ) सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से शिक्षा, इंजीनियरिंग, प्रवर्तन आदि चार स्तंभों पर आधारित एक बहुआयामी रणनीति लागू की है:

(i) सड़क इंजीनियरिंग: सभी सिविल कार्यों में भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के मानकों और विशिष्टताओं का अनुपालन किया जाता है। सभी चरणों (डिजाइन से लेकर रखरखाव तक) में सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा (आरएसए) अनिवार्य है। अल्पकालिक उपायों (साइनबोर्ड, क्रैश बैरियर) और दीर्घकालिक स्थायी सुधारों (अंडरपास, ज्यामितीय सुधार) के माध्यम से ब्लैक कॉरिडोर में सुधार करने को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

(ii) वाहन इंजीनियरिंग: अनिवार्य सुरक्षा सुविधाओं में अब फ्रंट एयरबैग, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) और स्पीड लिमिटर शामिल हैं। वाहन स्क्रैपिंग नीति और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों का उद्देश्य अनफिट वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है। भविष्य के अनिवार्य प्रावधानों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएस) और एकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम शामिल हैं।

(iii) शिक्षा और प्रवर्तन: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सरकार ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों को सहायता प्रदान करती है और राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाती है। मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019, प्रौद्योगिकी आधारित ई-चालान ढांचा (फ्रेमवर्क) और नवगठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से प्रवर्तन को सुदृढ़ किया गया है।

(ड.) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में देरी के मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे/बाधाएं, वैधानिक स्वीकृतियां/अनुमतियां, जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, अतिक्रमण हटाना, कानून-व्यवस्था संबंधी मुद्दे, रियायतग्राही/ठेकेदार की कार्यान्वयन क्षमता को प्रभावित करने वाली वित्तीय परेशानी, ठेकेदार/रियायतग्राही का खराब निष्पादन और कोविड-19 महामारी, बादल फटने जैसी अप्रत्याशित घटनाएं हैं। इन चुनौतियों से निपटने और परियोजना निष्पादन में तेजी लाने के लिए सरकार ने विभिन्न पहलें की हैं। इनमें "भूमिराशी" पोर्टल और जीआईएस-आधारित भूमि अधिग्रहण योजना का उपयोग करके भूमि अधिग्रहण को सुव्यवस्थित और त्वरित बनाना, वन और पर्यावरण स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से "परिवेश" पोर्टल का पुनर्गठन करना, रेलवे से सड़क ओवरब्रिज/सड़क अंडरब्रिज (आरओबी/आरयूबी) के सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) की ऑनलाइन स्वीकृति को सुगम बनाना और राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के सक्रिय सहयोग से चल रही परियोजनाओं में बाधाओं/अड़चनों की समीक्षा और समाधान की व्यवस्था का लाभ उठाना शामिल है। सरकार ने रेलवे संबंधी स्वीकृतियों के लिए एक वेब पोर्टल भी शुरू किया है, जिसमें विभिन्न स्वीकृतियों के लिए निर्धारित समयसीमाएँ दी गई हैं। सरकार ने परियोजना की प्रगति और ठेकेदारों की अक्षमताओं की निगरानी के लिए कई तंत्रों का उपयोग करते हुए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। परियोजना की प्रगति और महत्वपूर्ण परियोजनाओं, जैसे कि तीन वर्ष से अधिक विलंबित या सौंपने/नियत करने के लिए लंबित परियोजनाओं का आकलन करने के लिए हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। परियोजना निष्पादन को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए राज्य सरकारें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय बैठकें आयोजित करती हैं। जिन परियोजनाओं में मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं, उन्हें परियोजना निगरानी समूह और "प्रगति" के माध्यम से आगे की समीक्षा के लिए भेजा जाता है।
